बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 45)

[5 सितंबर, 1988]

बेनामी संव्यवहारों और बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5 और धारा 8 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और शेष उपबंध 19 मई, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बेनामी संव्यवहार" से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "संपत्ति" से सभी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है चाहे वह स्थावर हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त, और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार या हित भी है ।

3. बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति, कोई बेनामी संव्यवहार नहीं करेगा ।

[1][(2) उपधारा (1) की कोई बात,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम में किए गए संपत्ति के क्रय को लागू नहीं होगी और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि उक्त संपत्ति पत्नी या अविवाहित पुत्री के फायदे के लिए क्रय की गई थी—

(ख) (i) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में किसी निक्षेपागार द्वारा;

(ii) किसी निक्षेपागार के अभिकर्ता के रूप में सहभागी द्वारा,

धारित प्रतिभूतियों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—"निक्षेपागार" और "सहभागी" पदों के वही अर्थ हैं जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (छ) में हैं ।]

(3) जो कोई बेनामी संव्यवहार करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा ।

4. बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध—(1) बेनामी धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, या उसकी ओर से, किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 22 की धारा 30 और अनुसूची/भाग 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) बेनामी धारित संपत्ति के वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी वाद, दावे या कार्रवाई में बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार पर आधारित कोई प्रतिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां,—

(क) वह व्यक्ति, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, हिंदू अविभक्त कुटुंब में सहदायिक है, और ऐसी संपत्ति कुटुंब के सहदायिकों के फायदे के लिए धारित है; या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, न्यासी है या वैश्वासिक हैसियत में स्थित अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए धारित है जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में स्थित है ।

5. बेनामी धारित संपत्ति के अर्जन के लिए दायी होना—(1) सभी बेनामी धारित संपत्तियां ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जित की जा सकेंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति के अर्जन के लिए कोई रकम संदेय नहीं होगी ।

6. अधिनियम का कुछ दशाओं में लागू न होना—इस अधिनियम की कोई बात संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53 के उपबंधों पर, या अवैध प्रयोजन के लिए अंतरण से संबंधित किसी विधि पर, प्रभाव नहीं डालेगी ।

7. कुछ अधिनियमों के उपबंधों का निरसन—(1) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 81, धारा 82 और धारा 94, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 66 और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 281क निरसित की जाती है ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) की कोई बात आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 281क के जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त रहने पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

8. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अधीन संपत्तियों के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(ख) धारा 5 के अधीन संपत्तियों के अर्जन के लिए रीति और अनुसरण की जा सकने वाली प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बेनामी संव्यवहार (संपत्ति प्रत्युद्धरण अधिकार प्रतिषेध) अध्यादेश, 1988 (1988 का अध्यादेश 2) निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

———